

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 84/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/124

- 1- भैरु पुत्र हजारी जाट निवासी रामपुरा (लुलास) तहसील शाहपुरा
- 2- कल्याण पुत्र हजारी जाट निवासी रामपुरा (लुलास) तहसील शाहपुरा

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- छोटू पुत्र लादू लाल दरोगा निवासी लूलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- कालू पिता घीसू दरोगा निवासी लूलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- सोहन पिता खाना दरोगा निवासी लूलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- रामबगस पिता मांगू गुर्जर निवासी मुण्डेती तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- सोनाथ पिता मेवा गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 6- गणेश पिता गोपी जाट निवासी लूलांस तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- शंकर पिता उगमा भील निवासी मुण्डेती तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- रायमल पिता बरदू गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 9- रामबक्ष पिता मांगू गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 10- दूदा पिता छोगा गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 11- रामलाल पिता पोखर गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 12- सोनाथ पिता रामलाल गुर्जर निवासी धांगड़ा का खेड़ा तहसील शाहपुरा
- 13- रघुनाथ सिंह पिता लाल सिंह जैन निवासी लूलांस तहसील शाहपुरा
- 14- सुरेन्द्र सिंह पिता रघुनाथ सिंह जैन निवासी लूलांस तहसील शाहपुरा
- 15- भैरु लाल पिता उदा तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा
- 16- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 02-04-2024

उपस्थित :-

1. श्री दुर्गालाल राजोरा : अधिवक्ता प्रार्थीगण
::— निर्णय —::

दिनांक : 11.08.2025

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0700 है0, 630 रकबा 1.3000 है0, 631 रकबा 0.5000 है0, 638 रकबा 0.1000 है0, 786 रकबा 0.0300 है0, 787 रकबा 0.0300 है0, 790 रकबा 0.4600 है0, 803 रकबा 0.4800 है0 कुल कित्ता 8 रकबा 2.9700 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। दिनांक 15.11.2023 को प्रार्थीगण अपनी आराजी पर गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि कित्ता 8 रकबा 2.9700 है0

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा

की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 4, 6 से 16 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं. 3, 5 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 प्रस्तुत किया गया जिसे सुनकर स्वीकार किया गया।

आज दिनांक 11-08-2025 को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0700 है0, 630 रकबा 1.3000 है0, 631 रकबा 0.5000 है0, 638 रकबा 0.1000 है0, 786 रकबा 0.0300 है0, 787 रकबा 0.0300 है0, 790 रकबा 0.4600 है0, 803 रकबा 0.4800 है0 कुल किता 8 रकबा 2.9700 है0 के अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार आराजी ग्राम रामपुरा प0ह0 लूलांस भू0अ0निरीक्षक लूलांस तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 202 रकबा 0.0700 है0, 630 रकबा 1.3000 है0, 631 रकबा 0.5000 है0, 638 रकबा 0.1000 है0, 786 रकबा 0.0300 है0, 787 रकबा 0.0300 है0, 790 रकबा 0.4600 है0, 803 रकबा 0.4800 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थीगण की आराजी का प्रार्थीगण के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय दिनांक 11-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया



प्रतिलिपि तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला शाहपुरा